अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
12/22	13.02.2023	15/3/23

बउनवान

1. चेतन पुत्र श्री रामशंकर जाति मीणा निवासी गंडावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. महावीर पुत्र श्री रामशंकर जाति मीणा निवासी गंडावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

– वादीगण

बनाम

1. रामशंकर पुत्र श्री कान्हा जाति मीणा निवासी गंडावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. गायत्री पुत्री श्री रामशंकर पत्नि रामसिंह जाति मीणा निवासी गंडावद तह0 पीपल्दा जिला कोटा हाल निवासी मालबमोनी तह0 मॉगरोल जिला बारां राज0
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम गंडावद की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 की खाता संख्या 95 में खसरा संख्या 25 रकबा 0.10है0, खसरा संख्या 419 रकबा 1.09है0, खसरा संख्या 425 रकबा 1.36है0, खसरा संख्या 426 रकबा 0.09है0, खसरा संख्या 487/23 रकबा 0.46है0, कुल 7 किता की 5.21है0, भूमि स्थित है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि कहा गया है।

यह कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है, जो प्रतिवादी संख्या 1 को उनके पुर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक होने से वादीगण का जन्म से ही विवादित भूमि में सहदायिक हित उत्पन्न हो गया है व वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने निहित 1/3–1/3 हिस्से की भूमि पर खातेदारी की घोषणा करवा कर पृथक से बंटवारा करवाने का कानूनी अधिकारी है।

यह कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण मीणा जाति के सदस्य है, जो कि अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत है एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

धारा 2(2) के अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम पर लागू नहीं होता है। इस प्रकार पक्षकार शास्त्रीय हिन्दु विधि से शासित होते हैं, जिसके अधीन विवादित भूमि में वादीगण के मुकाबले(विरूद्ध), प्रतिवादी कम 2 को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं है, क्योंकि मीणा जाति में पिता की सम्पत्ति में पुत्र होने की स्थिति में, पुत्री को कोई अधिकार, हित प्राप्त नहीं होता है। उन्हें केवल मात्र प्रतिवादी कम 1 की संतान होने के कारण ज्ञान की दृष्टि से प्रतिवादी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। वे किसी भी प्रकार अनुतोष हेतु योग्य नहीं होने से उनके विरूद्ध कोई अनुतोष वांछित नहीं है।

यह कि वादीगण अपने निहित हिस्से के अनुरूप ही विवादित भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। किन्तु राजस्व अभिलेख में नाम न होने से वादीगण को भू–सुधार एवं कृषि विकास हेतु, कृषि ऋण प्राप्त करने व अन्य कार्य करने में बाधा उत्पन्न होने लग गई है। इन परिस्थितियों में वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय की सहायता से रामनारायण के निहित हिस्से की भूमि में स्वयं के 1/3–1/3 हिस्से की घोषणा करवाकर पृथक् से विभाजन करवायें। तदर्थ वाद प्रस्तुत है।

यह कि वादीगण द्वारा उनके निहित हिस्से की भूमि स्वयं के खाते दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी कम 1 से निवेदन किया गया तो उनके द्वारा स्पष्ट इन्कार कर दिया गया इसलिए वादीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना पड़ा।

यह कि प्रस्तुत वाद में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि प्रतिवादी, कम संख्या 3 तहसीलदार पीपल्दा को भू–धारक होने आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्ध वाद लाने के लिए धारा 80 दीवानी प्रकिया संहिता के प्रावधानों की पालना आवश्यक हैं किन्तु प्रतिवादी कम 1 वादीगण को विवादित भूमि पर कृषि कार्य करने में लगातार बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न करने पर अमादा है। इसलिए वाद की आपातिक दशा को देखते हुए वाद बगैर नोटिस दिये ही प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी कम संख्या 3 तहसीलदार पीपल्दा के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 80(2) दीवानी प्रकिया संहिता के अधीन प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है।

यह कि वाद कारण माह जनवरी 2023 के प्रथम सप्ताह में वादीगण द्वारा उनके हिस्से की भूमि स्वयं के खाते दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादी कम 1 से निवेदन करने पर उनके द्वारा स्पष्ट इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ।

अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से विनय है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में, विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय का निर्णय एवं डिक्री पारित करने की कृपा करें।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी कम 1 को 1/3 हिस्से की भूमि का तथा वादी कम 2 को 1/3 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर तदनुसार भूमि को विधिवत् विभाजित किया जावे। जिसका राजस्व अभिलेख, नक्शा लठ्ठा में इन्द्राज करने का आदेश तहसीलदार पीपल्दा को प्रदान किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

है कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से निषेधित किया जावे कि वह स्वयं जरिये प्रतिनिधि भूमि में वादीगण के शांतिपूर्ण कृषि–कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पक्षकारान् द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा एवं इकबाली जवाब दावा पेश किया कर निवेदन किया की विवादित आराजी पैतृक सम्पति है जो वादीगण के पिता प्रतिवादी कम 1 की खातेदारी में दर्ज है जो प्रतिवादी कम 1 को उनके पुर्वजो से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित आराजी पैतक होने से वादीगण का जन्म से ही विवादित भूमि में सहदायिक हित निहित है। वादीगण तथा प्रतिवादीगण मीना जाति के सदस्य है जिन पर हिन्दुउत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है। इस प्रकार पक्षकार शास्त्रीय हिन्दु विधि से शासित होते है जिसके अधीनल विवादित भूमि में वादीगण के मुकाबले प्रतिवादी कम 2 को किसी प्रकार के कोई हित अधिकार प्राप्त नही है। क्योकी मीना जाति में पिता की सम्पति में पुत्र होने की स्थिति मे पुत्री का कोई अधिकार हित प्राप्त नही होता है। मुताबिक राजीनामा वाद स्वीकार विवादित आराजी में पक्षकारान् को खातेदार धोषित कर विभाजन किया जावे।

बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर पक्षकारान् के मध्य विवादित आराजीया का विभाजन किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 माल ग्राम गंडावद प0हल्का गंडावद भू0अ0निरीक्षक लुहावद खाता सं. नया 95 पुराना 01 के ख.न. 25 रकबा 1.28,ख.न. 25/443 रकबा 0.83 ख.न. 418 0.10 ख.न. 419 रकबा 1.09 ख.नं. 425 रकबा 1.36 ख.न. 426 रकबा 0.09 ख.न. 487/23 0.46 है0 कुल किता 07 रकबा 5.21 है0 में प्रतिवादी कम 1 बतोर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2041–2060 मे प्रतिवादी कम 1 के पिता कान्हा बतौर सहखातेदार दर्ज रेकार्ड है। जिससे यह सावित होता है कि विवादित आराजी पक्षकारान् का पैतृक सम्पति है।

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण को खातेदार कृषक धोषित किया जाकर पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है।

1– वादी कम 1 चेतन पुत्र रामशंकर जाति मीणा निवासी गंडावद तहसील पीपल्दा के हिस्से में आई आराजी।

ख.न. 418 रकबा 0.10 है0 सम्पूर्ण

ख.न. 419 रकबा 1.09 है0 सम्पूर्ण

ख.न. 25/443 रकबा 0.83 है0 मे से 0.54 है0 दक्षिण दिशा
कुल किता 3 रकबा 1.73 है0 भूमि

2– वादी कम 2 महावीर पुत्र रामशंकर जाति मीणा निवासी गंडावद तहसील पीपल्दा के हिस्से आई आराजी।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

ख.नं. 425 रकबा 1.36 है0 सम्पूर्ण

ख.न. 426 रकबा 0.09 है0 सम्पूर्ण

ख.न. 25/443 रकबा 0.83 मे से 0.29 है0 उत्तर दिशा
कुल किता 3 रकबा 1.74 है0 भूमि

कुल किता 3 रकबा 1.74 है0

3- प्रतिवादी कम 1 रामशंकर पुत्र कान्हा जाति मीणा निवासी गंडावद तहसील पीपल्दा के हिस्से आई आराजी।

ख.नं. 25 रकबा 1.28 है0

ख.न. 487/23 रकबा 0.46 है0 सम्पूर्ण

कुल किता 02 की 1.74 है0 भूमि

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जावे। विवादित आराजीयात् पर यदि रहनभार दर्ज है तो यथावत रहेगा।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत (आर.ए.एस)

बउनवान

1. चेतन पुत्र श्री राम शंकर जाति मीणा निवासी गंडावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. महावीर पुत्र श्री राम शंकर जाति मीणा निवासी गंडावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

– वादीगण

बनाम

1. रामशंकर पुत्र श्री कान्हा जाति मीणा निवासी गंडावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0
2. गायत्री पुत्री श्री राम शंकर पत्नि रामसिंह जाति मीणा निवासी गंडावद तह0 पीपल्दा जिला कोटा हाल निवासी मालबमोनी तह0 मॉगरोल जिला बारां राज0

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (राजस्थान)

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं– 12/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री कमल बंसल एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादीगण को खातेदार कृशक घोशित किया जाकर पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है।

1– वादी कम 1 चेतन पुत्र राम शंकर जाति मीणा निवासी गंडावद तहसील पीपल्दा के हिस्से में आई आराजी।

ख.न. 418 रकबा 0.10 है0 सम्पूर्ण

ख.न. 419 रकबा 1.09 है0 सम्पूर्ण

ख.न. 25/443 रकबा 0.83 है0 मे से 0.54 है0 दक्षिण दिशा

कुल किता 3 रकबा 1.73 है0 भूमि

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

प्रतिवादी कम 2 महावीर पुत्र रामशंकर जाति मीणा निवासी गंडावद तहसील पीपल्दा के हिस्से आई आराजी।

ख.नं. 425 रकबा 1.36 है0 सम्पूर्ण

ख.न. 426 रकबा 0.09 है0 सम्पूर्ण

ख.न. 25/443 रकबा 0.83 मे से 0.29 है0 उत्तर दि ॥
कुल किता 3 रकबा 1.74 है0 भूमि

कुल किता 3 रकबा 1.74 है0

3– प्रतिवादी कम 1 रामशंकर पुत्र कान्हा जाति मीणा निवासी गंडावद तहसील पीपल्दा के हिस्से आई आराजी।

ख.नं. 25 रकबा 1.28 है0

ख.न. 487/23 रकबा 0.46 है0 सम्पूर्ण

कुल किता 02 की 1.74 है0 भूमि

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जावे। विवादित आराजीयात् पर यदि रहनभार दर्ज है तो यथावत रहेगा।

निणर्य मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक ..... को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा